सुशीला देवी बनाम मोतीलाल वगैरह

हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

तारीख हुक्म	
	प्रकरण पत्थरगढ़ी प्र. नं. - 108/2023
27-9-23	पत्रावली पेश हुई। [illegible] उभय पक्षकारान [illegible] में दौरे/अन्य [illegible] हेतु हैं। [illegible] पेश हो। दिनांक 3-10-23 [illegible]
8-10-23	पत्रावली पेश हुई। वकलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी [illegible] कार्य में व्यस्त [illegible] में [illegible] वास्ते [illegible] हेतु दि. 11-10-23 [illegible] हो।
11-10-23	पत्रावली पेश हुई। वकलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। [illegible] अधिकारी [illegible] में दौरे/[illegible] वास्ते आदेश [illegible] हेतु हैं। पत्रावली वास्ते [illegible] दिनांक 19-10-23 को पेश हो।
23.10.2023	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीया उपस्थित। प्रकरण में अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 22 की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से करवाये दो माह से भी अधिक का समय हो चुका है। बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 22 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रकरण में अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हो जाने से वकील प्रार्थीया ने आज ही बहस सुनी जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थीया के निवेदन पर प्रकरण में बहस वकील प्रार्थीया एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है। [illegible] में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया [illegible] किया गया। निर्णय अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/10/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.12 16:03:16 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना (राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
108 / 2023	2023 / 1052	02.08.2023	23.10.2023

उनवान प्रकरण

1. सुशीला कंवर पत्नि बजरंगसिंह जाति राजपूत निवासी रूपपुरा उदलवास तहसील श्रीमाधोपुर जिला (राज0)

——प्रार्थीया——

बनाम्

1. मांगीलाल पुत्र भागीरथ
2. राकेश पुत्र भागीरथ
3. अंजूलता पत्नि रमेश
4. रवि परवाल पुत्र रमेश
5. रूचि परवाल पुत्री रमेश
6. मालती पुत्री भागीरथ
7. शकुन्तला पुत्री भागीरथ
8. सुलोचना पुत्री भागीरथ
9. मोहनी देवी पत्नि भागीरथ
10. समस्त जाति महाजन निवासीगण रूपपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.12 16:03:16 IST
Reason: SelfAttested

23/10/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

10. मीरा कंवर पत्नि सुमेरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम रूपपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

11. मूलसिंह पुत्र प्रभूसिंह

12. किशोरसिंह पुत्र प्रभूसिंह

13. शिवराजसिंह पुत्र प्रभूसिंह

14. बबली पुत्री प्रभूसिंह

15. सन्तोष पुत्री प्रभूसिंह

16. चावकंवर पुत्री प्रभूसिंह

समस्त जाति दरोगा निवासीगण रूपपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

17. सुशीला देवी पत्नि राजेन्द्र कुमार

18. अजय शर्मा पुत्र राजेन्द्र कुमार

19. संजय शर्मा पुत्र राजेन्द्र कुमार

समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण रूपपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

20. सुल्तान पुत्र भोमानाथ जाति जोगी निवासी रूपपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

21. ग्राम पंचायत करड़का जरिये सरपंच ग्राम पंचायत करड़का तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

22. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

---अप्रार्थीगण---

उपस्थित :-

श्री आदित्य प्रताप सिंह नरूका, एड0 अभिभाषक [illegible] प्रार्थीया ।

पैरोकार सरकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर अप्रार्थी संख्या 22 की ओर से

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.12 16:03:16 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी अन्तर्गत [illegible] 128

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

23/10/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने यह प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 438 रकबा 0.68 हैक्टर तन् ग्राम रूपपुरा उदलवास पटवार हल्का करड़का तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित है जिसकी सम्पूर्ण हिस्से की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया के नाम से अंकित है। उक्त भूमि से अप्रार्थीगण एंव अन्य का कोई सम्बन्ध नही है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) के आदेश क्रंमाक 69 दिनांक 16.06.2022 की अनुपालना में राजस्व ग्राम रूपपुरा उदलवास पटवार हल्का करड़का के भूमि खसरा नम्बर 438 का सीमाज्ञान पटवार हल्का करड़का तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) के द्वारा विधिवत रूपेण दिनांक 29.06.2023 को करवाया जा चुका है। फर्द सीमाज्ञान रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी के साथ संलग्न है। उक्त वर्णित भूमि का प्रार्थीया विधिवत रूपेण पत्थरगढ़ी करवाना चाहती है। वर्तमान में मौके पर उक्त भूमियो में कोई फसल काश्त की हुयी नही है तथा अप्रार्थीगण नम्बर 1 ता 24 प्रार्थीया के पड़ौसी काश्तकार है। प्रार्थीया शांतिप्रिय महिला है तथा अनावश्यक वाद–विवाद नही चाहते है लेकिन अप्रार्थीगण प्रार्थीया को अनावश्यक ही आये दिन हैरान–परेशान करते रहते है एंव सीमा चिन्हो को नष्ट कर खुर्द–बुर्द करने एंव प्रार्थीया की भूमि पर जोर जबरन कब्जा करने पर आमादा रहते है जो कि काफी झगड़ालू किस्म के व्यक्ति है। उक्त लोग कहने–सुनने समझाने से मान नही रहे है। इसलिये प्रार्थीया की खातेदारी एंव कब्जा काश्त की भूमि की पत्थरगढ़ी सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार करवाया जाना आवश्यक एंव न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया की खातेदारी एंव कब्जा काश्त की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 438 राजस्व ग्राम रूपपुरा उदलवास पटवार हल्का करड़का तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) की पत्थरगढ़ी फर्द मौका सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार किये जाने के आदेश भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिये जाने का निवेदन अपने प्रार्थना पत्र में किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.12 16:03:16 IST
Reason: SelfAttested

23/10/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) सत्यमेव जयते

इस पर प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 22 की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से करवाये दो माह से भी अधिक का समय हो चुका है। बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 22 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रकरण में अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने से वकील प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी में आज ही बहस सुनी जाकर प्रकरण का अन्तिम निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने वकील प्रार्थीया की बहस एकपक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील प्रार्थीया द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 की चार जमाबन्दीयॉ, खसरा नक्शा एंव जमाबन्दी की फोटोप्रति, फर्द मौका सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 29.06.2023 इत्यादि का अवलोकन किया गया।

हमने वकील प्रार्थीया की एक पक्षीय बहस ध्यानपूर्वक सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि ग्राम रूपपुरा उदलवास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 438 रकबा 0.68 हैक्टर तन् ग्राम रूपपुरा उदलवास पटवार हल्का करड़का तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) की खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया के नाम दर्ज रिकार्डेड होना प्रकट होता है। जिसका सीमाज्ञान प्रार्थीया के द्वारा तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश से सम्बन्धित पटवारी हल्का करडका के द्वारा दिनांक 29.06.23 के द्वारा किया जाना प्रकट होता है। प्रस्तुत प्रकरण में विवादित भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.12 16:03:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

23/10/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

क्रमांक 69 दिनांक 16.06.2022 की अनुपालना में विधिवत तरीके से पटवारी हल्का करडका के द्वारा दिनांक 29.06.2023 को किया जाना स्पष्टतः प्रकट होता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीया द्वारा अपनी खातेदारी में दर्ज भूमियों का सीमाज्ञान करवा लिये जाने से प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विधिवत रूप से करवाये गये सीमाज्ञान के अनुसार प्रकरण में पत्थरगढ़ी करवाया जाना न्यायहित में उचित प्रतित होता है।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में पटवारी हल्का करडका द्वारा दिनांक 29.06.2022 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक ग्राम रूपपुरा उलदवास के भूमि खसरा 438 रकबा 0.68 हैक्टर तन् ग्राम रूपपुरा उदलवास पटवार हल्का करड़का तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किए जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि वे पत्थरगढ़ी की फीस भू.अ.निरीक्षक फीस 900/– रूपये एंव दो पट[illegible] फीस 600/– रूपयें प्रति पटवारी की दर से 1200/–रूपये कुल 2100/– रूपये [illegible] राज्य कोष में जमा ली जावें तथा मूल चालान की प्रति पेश होने पर पटवारी हल्का [illegible]ड़का द्वारा दिनांक 29.06.2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.12 16:03:16 IST
Reason: SelfAttested

25/10/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक वर्तमान भौतिक मौका स्थिति में बिना परिवर्तन किये व सींव डोल को बिना हिलाये (प्रकरण में अंकित खसरा नम्बरान् पर किसी दीगर न्यायालय का कोई स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो) पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

23/10/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह निर्णय आज दिनांक 23.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/10/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.12 16:03:16 IST
Reason: SelfAttested